रजिस्टर्ड नं० एल० ३८४

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 6 जनवरी, 1971
पौष 16, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 4/17--253-70

लखनऊ, 6 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 4 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1970
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1971)
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्यनिषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:— नयी धारा 20—ए और 20—बी का बढ़ाया जाना

मद्य निषेध को क्रमिक रूप से प्रवर्तित करने का विकल्प

"20—ए—धारा 14 के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन को प्रतिषिद्ध करने के राज्य सरकार की शक्ति का और धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति का, प्रयोग राज्य में मद्य-निषेध का क्रमिक प्रसार करने

की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उस क्षेत्र की विशेषता ;

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक, स्थिति जिसके अन्तर्गत उनका आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर भी है ;

(ग) स्थानीय जन-मत; और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य, जो राज्य सरकार की राय में, लोक-हित से सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह कि इस उपधारा की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं समझा जायेगा कि राज्य सरकार अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का, मद्य-निषेध के प्रवर्तन के लिये, किसी समय चयन किया जाय, उल्लेख करे।

मद्य-निषेध के संबंध में अपवाद, आदि

20—बी (1) यदि संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के संबंध में (जिसे आगे इस धारा में मद्य-निषेध क्षेत्र कहा गया है) उक्त नीति के अनुसरण में धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय तो मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में धारा 14 के अधीन अधिसूचना या तो अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय, जारी की जा सकती है ।

(2) किसी मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा 14 के अधीन या धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं, या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये कब्जे में रखने, या उनका आयात-निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती या शिथिलीकरण कर सकती है:—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य-निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी ;

(ग) मद्य-निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री ;

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) तथा वे व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के लिये मादक वस्तु की आवश्यकता हो ;

(ङ) वे व्यक्ति जिनके पास धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस हो ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य-निषेध क्षेत्र से, को, या वहां होकर जाने वाले परेषण ;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन ।

(3) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में जो उपधारा (2) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार, या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, कोई पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है ।

(4) उपधारा (1) में अभिदिष्ट अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक वह मद्य-निषेध क्षेत्र पर लागू है, बिना नोटिस तुरन्त रद्द कर सकता है, और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि को छूट देगा, और उसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गयी धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि को (यदि कोई हो) घटाकर, लौटा देगा किन्तु लाइसेंसधारी को लाइसेंस के इस प्रकार रद्द किये जाने के संबंध में धारा 25 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रतिकर देय न होगा ।

(5) यदि उपधारा (4) के अधीन कोई लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तो लाइसेंसधारी अपने पास की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जो राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें।"

वैधीकरण

3—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 14 या धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, और समय-समय पर यथासंशोधित यू० पी० इन्टोक्सिकेंट प्राहीबिशन रूल्स, 1947 के नाम से बनाये गए नियम उसी प्रकार समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अधिसू

जारी किए जाने या उक्त नियम बनाने अथवा उसमें संशोधन करने के समय प्रवृत्त थे, और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा संशोधित या विखंडित न कर दिए जायें ।

4—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उ० प्र० अध्यादेश संख्या, 11, 1970 का निरसन

No. 4/XVII—253-70

Dated Lucknow, January 6, 1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Excise (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 6, 1971.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (THIRD AMENDMENT) ACT, 1970

(Uttar Pradesh Act No. 4 of 1971)

(As passed by U. P. Legislature)

AN

ACT

Further to amend the U. P. Excise Act, 1910, with a view to facilitating the extension and enforcement of prohibition in pursuance of the directive principle of State policy enshrined in Article 47 of the Constitution, and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Third Amendment) Act, 1970.

Insertion of new sections 20-A and 20-B.

2. *After* section 20 of the Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :—

"20-A. The power of the State Government under section 14 to prohibit the import, export or transport of any intoxicant and the power under sub-section (4) of section 20 to prohibit the possession of any intoxicant may be exercised in pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State, and different areas may from time to time be selected in that behalf after taking into account—

Option to enforce prohibition gradually.

(*a*) the character of an area as a place of pilgrimage, a seat of learning or an industrial area ;

(*b*) the general economic condition of the local population including their level of nutrition and standard of living ;

(*c*) the local public opinion ; and

(*d*) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

20-B. (1) Where a notification is issued under sub-section (4) of section 20 in pursuance of the said policy in respect of the whole or a part of the State (hereinafter in this section referred to as the prohibition area) a notification under section 14 in respect of the prohibition area may be issued either absolutely or subject to such exceptions or conditions as may be specified in the notification.

Exception etc. in respect of prohibition.

(2) In relation to any prohibition area, the State Government may, either by rules or by general or special order, make any exemption or relaxation in respect of the possession, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under section 14 or under sub-section (4) of section 20, of any of such intoxicants by or for purposes of—

(*a*) members of the defence services;

(*b*) foreigners visiting or residing in the prohibition area;

(*c*) travellers through the prohibition area;

(*d*) addicts (in the case of *ganja* only), and others requiring intoxicant on grounds of health;

(*e*) persons holding licences under sections 17, 18, 21 and 24;

(*f*) consignments from, to, or passing through the prohibition area by rail, road or air;

(*g*) industrial, scientific, educational, medicinal or religious purposes.

(3) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (2), the State Government may either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.

(4) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (1), the authority granting a licence under this Act may in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall thereupon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the licence, and refund any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof, less the amount (if any), due to the State Government, but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(5) Where any licence is cancelled under sub-section (4) the licensee shall dispose of the intoxicants in his possession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct.

Validation

3. Every notification issued under section 14 or sub-section (4) of section 20 of the principal Act, as well as the rules made under the name of the U.P. Intoxicant Prohibition Rules, 1947, as amended from time to time before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at the time of the issue of such notification or of the making of the said rules or of amendments thereof and shall continue in force until amended or rescinded by the State Government.

Repeal of U.P. Ordinance No. 1 of 1970.

4. The Uttar Pradesh Excise (Amendment and Validation) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 282 गजट (हि०)—1971—2035+250+100 (मे०)।